केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/हब्स ऑफ लर्निंग/2022 दिनांक: 18.10.2022

परिपत्र संख्या शैक्षणिक -127/2022

सेवा में,
सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुख और उनके विद्यालय प्रबंधन

विषय: संबद्ध स्कूलों के बीच स्व-सुधार के लिए सहयोग हेतु अधिगम केंद्रों (हब्स ऑफ लर्निंग) के गठन के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

सीबीएसई की ओर से शुभकामनाएं।

सीबीएसई ने शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करने और स्व-सुधार को बढ़ावा देने के लिए 09 मार्च, 2019 को अपने कार्यालय परिपत्र संख्या एफ 12 के माध्यम से अधिगम केंद्रों (हब्स ऑफ लर्निंग/ HoL) की अवधारणा की शुरूआत की थी। बोर्ड द्वारा हब्स ऑफ लर्निंग (HoL) के रूप में सहयोगपूर्ण विकास के लिए 5-6 नजदीकी विद्यालयों के समूह बनाने का निर्णय लिया गया था। विद्यालयों के बीच इस सहयोगपूर्ण साझेदारी का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है ताकि वे प्रभावी रूप से सर्वांगीण स्व-सुधार कर सकें। यह अपेक्षा की गई थी कि विद्यालय नेतृत्व अपने विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक जिम्मेदारी लेगा और नजदीकी विद्यालयों को भी अपना सहयोग देगा। बोर्ड का विचार है कि कम संसाधनों वाले छोटे विद्यालय से उतना ही सीखा जा सकता है जितना कि अधिक संसाधनों वाले बड़े विद्यालय से।

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मई से जुलाई 2019 में और पुन: जनवरी, 2020 में हब लीडर्स (लीड कोलैबोरेटर्स) के साथ-साथ सदस्यों के लिए कई अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए:

ए. शिक्षण अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों यथा पाठ्यक्रम योजना, शिक्षण-अधिगम गतिविधियाँ और अन्य विद्यालय पद्धतियों में समर्थन/सहयोग और स्वस्थ अन्योन्याश्रयता की संस्कृति का निर्माण करना;

बी. विचारों, अनुदेशात्मक और आकलन रणनीतियों के प्रदर्शनों को साझा करने का अवसर प्रदान करना जो व्यक्तिगत शिक्षकों को कक्षा पद्धतियों में सुधार करने और उनके निरंतर व्यावसायिक विकास में योगदान करने में मदद करे;

सी. संसाधन साझा करने में सक्षम बनाना: जनशक्ति, अवसंरचना, शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि।

डी. समृद्ध विद्यालयी जीवन में परिणत होने वाली विभिन्न छात्र/स्टाफ गतिविधियों के संयुक्त संचालन को सुगम बनाकर एकजुटता को बढ़ावा देना।

इन समूहों द्वारा अपने सहयोगपूर्ण प्रयासों में हासिल की गई उत्कृष्टता के आधार पर, बोर्ड ने शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल, शिक्षण और अधिगम के लिए ई-सामग्री, शिक्षक हैंडबुक/सोर्सबुक/मैनुअल, मास्टर ट्रेनर उपलब्ध कराने आदि के विकास में भागीदारी के लिए कुछ समूहों के साथ भी कार्य किया है।

कोविड-19 महामारी के समय में, HoL का कामकाज काफी सीमा तक महामारी से प्रभावित था। महामारी के बाद ऑनलाइन बैठकों और चर्चाओं के रूप में इसके लिए पुन: किए गए प्रयासों के आधार पर, इस गतिविधि को एनईपी 2020 के अधिदेश के साथ संरेखित करने की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें निम्न के लिए सिफारिश की गई है :

• कला, संगीत विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषयों आदि सहित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाताओं/प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों (साझा या अन्यथा) के साथ विद्यालय संकुलों का गठन।

• पर्याप्त संसाधन (साझा या अन्यथा), जैसे पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, कौशल प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, खेल उपकरण/उपस्कर और सुविधाएं इत्यादि।

• संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण-अधिगम सामग्री साझा करने, संयुक्त सामग्री विकास, कला और विज्ञान प्रदर्शनियों, खेल सम्मेलनों, प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद और मेले जैसी संयुक्त गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से शिक्षकों, छात्रों और विद्यालयों के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय की भावना का निर्माण करना।

•दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालयों में सहयोग और समर्थन।

• विद्यालयों के प्रत्येक समूह के भीतर प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को सभी बेहतर निर्णय सौंपते हुए विद्यालय शिक्षा प्रणाली का बेहतर प्रशासन।

अब, HoL का पुनर्गठन किया गया है और एक समर्पित HoL पोर्टल कई प्रकार्यात्मकताओं के साथ तैयार किया गया है, लर्निंग हब के साथ-साथ अलग-अलग विद्यालयों को रिकॉर्ड रखना होगा और इसे HoL पोर्टल पर अपनी केस स्टडीज, ई-सामग्री, शिक्षक मैनुअल, नवाचारों और सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रलेखन आदि अपलोड करना होगा, जिसे बाद में बोर्ड द्वारा व्यापक रूप से अपनाने/अनुकूलन/प्रतिकृति के लिए शिक्षण समुदाय के लिए उदाहरण के रूप में प्रचारित किया जा सकता है। विभिन्न HoL और शिक्षकों की उनकी कठिनाइयों/ समस्याओं के बारे में बोर्ड के साथ साझा की गई प्रतिपुष्टियों पर विचार किया गया है और बोर्ड द्वारा उन समस्याओं को दूर करने के लिए HoL के नए संस्करण में आवश्यक कार्रवाई की गई है। अब, बोर्ड के उत्कृष्टता केंद्रों को हब की संरचना में जोड़ने, हटाने और आशोधन सहित हब की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत किया गया है।

सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्यगण के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिकारियों और उत्कृष्टता केंद्र प्रमुखों से अपेक्षा की जाती है कि वे एनईपी 2020 और सांविधानिक/ मूलभूत ढांचे में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को सही मायने में लागू करें।

HoL कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://cbseacademic.nic.in पर जाएं। आप अपने OASIS क्रेडेंशियल की मदद से HoL पोर्टल में लॉग-इन कर सकते हैं।

किसी भी अनुरोध/स्पष्टीकरण के लिए आपसे अनुरोध है कि अपने अधिकार क्षेत्र के उत्कृष्टता केंद्र से संपर्क करें या मुख्यालय में डॉ. बी.एन. सिंह, उप सचिव (कौशल शिक्षा विभाग) सीबीएसई से holcbsehq@gmail.com पर संपर्क करें।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

Biswajit Saha

डॉ. बिस्वाजित साहा
निदेशक (कौशल शिक्षा)

प्रतिलिपि: जैसा कि नीचे दिया गया है, निदेशालयों, संगठनों और संस्थाओं के संबंधित प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध सहित

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी- 15, सेक्टर-62, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली एनसीटी सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
4. जन अनुदेशन निदेशक (विद्यालय), संघ राज्य सचिवालय, सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम - 737101
6. स्कूली शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर -744101
8. निदेशक, केंद्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, ईएसएसईएसएस प्लाज़ा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली
9. सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी, कमरा नं.101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली – 110001
10. अपर महानिदेशक आर्मी शिक्षा, ए- विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पी ओ, नई दिल्ली- 110001
11. सचिव, एडबल्यूईएस, एकीकृत मुख्यालय एमओडी (आर्मी), एफ़डीआरसी भवन सं.202, शंकर विहार (एपीएस के निकट) दिल्ली कैंट-110010
12. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
13. अध्यक्ष, ओड़िशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के निकट, पीओ सैनिक स्कूल नायापल्ली, भुवनेश्वर, ओड़िशा-751005
14. अध्यक्ष, सीबीएसई के उपसचिव को - अध्यक्ष, सीबीएसई की सूचना हेतु
15. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष
16. सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी/उत्कृष्टता केंद्र प्रमुख, सीबीएसई को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को इस परिपत्र को अनुपालन हेतु भेजने के लिए अनुरोध सहित
17. प्रमुख (मीडिया एवं जन संपर्क), सीबीएसई
18. सहायक सचिव (आईटी), सीबीएसई, राऊज़ एवेन्यू को इस अधिसूचना को शैक्षणिक वैबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित
19. प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ, सीबीएसई, मुख्यालय को इस अधिसूचना के अनुवाद हेतु

निदेशक (कौशल शिक्षा)